

कार्यालय ग्राम पंचायत - नेवाड़ा दुर्गविप्रवास  
 निकास खण्ड - जटवानीपुर  
 जनपद - गाजीपुर

दिनांक 27/05/23

प्रातः

१०००

**विषय:-** ग्राम जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की उंची को निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मार्गदर्शन

अवगत कराना है कि दिनांक 27/05/23 को ग्राम पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने नियास करने वाल प्रत्येक परिवारों की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राधानिक / जूँहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनयार्डी कार्यकर्ता / नियानिका, कोंटदार, १०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उगत देवक में ग्राम पंचायत सर्विद द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में नियास करने वाल प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नियानिका यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा नियानिका लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के एखिया द्वारा दी गयी सहमति पर संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के नियानिका तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमता है।

अन: अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा कुरताक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम पंचायत अधिकारी  
 ग्राम पंचायत समिति, गाजीपुर  
 नेवाड़ा-जटवानीपुर

M.P. Singh  
 (Director)  
 Sushma Foundation  
 Varanasi(U.P)

ग्राम पंचायत  
 ग्राम पंचायत-नेवाड़ा दुर्गविप्रवास  
 १०० रोड-जटवानीपुर  
 २०२३-२०२४

ग्राम प्रधान

सहायक प्रधान अधिकारी (पा)  
 जटवानीपुर, गाजीपुर।



## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संवर्धी उन सभी नितिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले शाम सक्षम में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख:	<u>27/05/23</u>
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख:	<u>15/07/23</u>
वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:	
2. ग्राम का नाम:	<u>दीर्घा दुर्गविलासन</u>
ग्राम पंचायत का नाम:	<u>दीर्घा दुर्गविलासन</u>
दर्तक का नाम:	<u>ज.जलानी</u>
जिला का नाम:	<u>गाजीपुर</u>
राज्य का नाम:	<u>उत्तर प्रदेश</u>
ग्राम जनगणना कोड:	

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प	
3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मध्ये कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/सजान करने के स्थानों वाले जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ?-? तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मौठे पानी को बचाएंगे।	
यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 1-2 %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।	
• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।	
II. ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण	
4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): <u>ग्राम पर्याप्ति फैंस (जप्त एवं स्वदृष्टा भागीदार समिति को क्या कहा जाता है:</u>	
अध्यक्ष का नाम:	<u>अमृनालि</u>
लिंग:	<u>पुरुष</u>
आयु:	

ग्राम विकास उपयोगी  
ग्राम पंचायत

ग्राम प्रधान, लूम्पुर  
ग्राम प्रधान, लूम्पुर

M.P. Singh  
(Director)  
Bushma Foundation  
Varanasi(U.P.)

## III. सामान्य विवरण

6.

प्रतिवर्षीय वर्ष	1125.66	प्रतिवर्षीय वर्ष	19.1
प्रतिवर्षीय वर्ष	15.3	प्रतिवर्षीय वर्ष	5.4
प्रतिवर्षीय वर्ष	4.51	प्रतिवर्षीय वर्ष	6.5
प्रतिवर्षीय वर्ष	2.13	प्रतिवर्षीय वर्ष	3.3
प्रतिवर्षीय वर्ष	1.8	प्रतिवर्षीय वर्ष	2.5
प्रतिवर्षीय वर्ष	2.24	प्रतिवर्षीय वर्ष	3.3

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 114.1 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण  
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 13 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यवर्ती संघर्ष (पशुपालन रिवर्ड): 500

9. कृषि फसल पैटर्न:



10. औसत जिला वर्षा (ग्र.मी. में): 167 से 180 तक मी.

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): असतल

## IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविक्रिया किया गया है? (हाँ / नहीं)  
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानविक्रिया संलग्न करें) हाँ13. क्या सामाजिक मानविक्रिया किया गया है? (हाँ / नहीं)  
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानविक्रिया संलग्न करें) हाँ

1. जनसंख्या	सापेक्षिक वर्षावधारनम्	प्रतिवर्षीय वर्ष	प्रतिवर्षीय वर्ष	प्रतिवर्षीय वर्ष
2. मानवनाड़ी	ET			
3. ग्राम-प्राच्यतरंगन	ET			
4. ग्राम-प्राच्यतरंगन	ET			

शानी की कूल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: ५३,१८ के.एल.डी.  
 मध्येशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: ७४,३१ के.एल.डी.  
 मध्येशी कुंडों की आवश्यक संख्या: ९  
 मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: ११४,११ के.एल.डी.  
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: ७३ के.एल.डी.

पाली की आपर्तिं का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/मुकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता को सामान्य प्रवृत्ति: \_\_\_\_\_

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकिये, रेत गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: \_\_\_\_\_

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त: \_\_\_\_\_

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मोलेरपि, ट्राप्टाइज़, पीनिष्टि, दूसरे पानी की गुणवत्ता

20. फ़िल्टर परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की घोकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पैयजल स्रोत (छोटों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

कपड़े धोने / स्वास्थ्य करने का स्पष्टान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब हलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्तरान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं:

181 182 183

सौत स्यामित्र

24. भ-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हो/नहीं) 81

25. मॉव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/सरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: पीछे, तालाब, पूर्जा गंदसे जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): \_\_\_\_\_ के,एल.टी.

अलग-अलग सौख्यता गड़ी वाले परिवारों की संख्या: 50

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गढ़दौ की आवश्यकता है: 20

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड़दी की संख्या : 19

क्या अपरिष्ट तत्त्वात् वीर्यात् आवश्यकता है? (हाँ नहीं):  हाँ  नहीं

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अंकों वाली

यदि नहीं, तो गंदसा जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

## V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के स्थिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.डी.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - नियंत्रित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जलसंरेख वाटर स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
  - वाटर यिड/कोरीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बसितों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीशी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक सम्बंधों के

**आधार पर प्रस्तावित जल आपत्ति योजना:**

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: \_\_\_\_\_

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.इ.डी./आर.इव्हन्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी:

योजना की तारीख: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:


दार्थिक प्रचालन व रखन-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घोरा० मासिक जल शुल्क:

प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

• VI. नेत-जीत

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोड़ संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.				
	पूर्वोक्ता विश्वनाथ देवदत्त सुखदेव गणपति (संस्कृत-संस्कृत)	पूर्वोक्ता विश्वनाथ देवदत्त जल और वन्धु मन्त्रालय	पूर्वोक्ता विश्वनाथ देवदत्त विनायक देवदत्त आदि	पूर्वोक्ता विश्वनाथ देवदत्त विनायक देवदत्त आदि



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत बाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूग्री संसाधन विभाग	बाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एव./ कृषि पुलारेण, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राज्यीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	बाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाइ का प्रावधान, एकलीफसे से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीवरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण	पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीवरण, बन परिस्थितिकी तंत्र का धुनजूनन, बॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समर्थ शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेचजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला सनिज विकास निधि (ठी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े ऐनाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सौंचियकी और कर्यक्रम कार्यालय मंत्रालय (एम.पी.एस.पी.आई.)	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: अमृतनाथ

पी.एच.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

## संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए यांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. रेखाशुभ्रा	जिल्हा राम	रामाट	जलसंचय	९८२६२३९११
2. चीमता	पंचमी	यमाट	जलसंचय	९८२८४६३६०५
3. श्रीखेजला	लक्ष्मन राम	"	"	९३०५४८०९२५
4. खुनिता प्राप्ति	आजाद प्राप्ति	अदीट	"	९८२८८९२८४२
5. हूनम झाँसी	उद्धव झाँसी	झोली	"	९९१९३०४१५०
पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:	पूजेश	यमाट	"	९८२८५८२३४

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....  
विंदू-जखनियाँ, गाजीपुर

ग्राम प्रधान...अमृतनाथ.....  
ग्राम पंचायत-नियायी गुरुगंगालपुर  
विंदू-जखनियाँ, गाजीपुर

M.P. Singh  
(Director)  
Sushma Foundation  
Varanasi(U.P.)